



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175579

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29227 वर्ष 2026

इंद्रावती @ बतासी देवी

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदिका के अधिवक्ता

: विवेक कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्तागण

: जी.ए., सुधांशु यादव

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक कुमार सिंह, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधांशु यादव तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 47 वर्ष 2026, धारा 80(2), 85 बी.एन.एस. एवं 3/4 डी.पी. अधिनियम, थाना धनापुर, जिला चंदौली के विचारण के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका मृतका की सास है, जिसने घरेलू मामलों को लेकर हुए एक मामूली विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आवेदिका को केवल मृतका की सास होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध यह दर्शाने के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लिए कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है कि उसने मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को प्रताड़ित किया था। आवेदिका को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने के लिए यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका के साथ क्रूरता की गई थी, किंतु ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-आरोपी आकाश शर्मा @ चंदन (जेठ) तथा अनामिका शर्मा (जेठानी) को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26405 वर्ष 2026 एवं 23789 वर्ष 2026 में दिनांक 30.07.2026 एवं 14.07.2026 के आदेशों द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः आवेदिका समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और एक महिला होने के नाते वह बी.एन.एस.एस. की धारा 480 के दृष्टिगत जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। वह दिनांक 10.07.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

4. दूसरी ओर, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदिका एक **महिला** (सास) है और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कपिल वाधवान बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रकाशित है, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रकाशित है, 2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदिका-इंद्रावती @ बतासी देवी, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- ii. आवेदिका बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगी।
- iii. जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदिका किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगी अथवा कोई अपराध कारित नहीं करेगी।
- iv. आवेदिका द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार वह उपस्थित होगी।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदिका एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएं।
9. आवेदिका एवं जमानतदारों के मोबाइल नंबर के साथ-साथ आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस शपथ के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
11. निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदिका की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए रिहाई आदेश बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को भेजेगा।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सूओ मोटू रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एससीसी 685 में पारित आदेश तथा पिता पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025, दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत, के मामले में पारित आदेश के अनुपालन में, 24 घंटे के भीतर इस आदेश की एक प्रति चंदौली जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए आवेदिका को तथा ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजी जाए।
13. यदि कोई आवेदन लंबित है, तो वह निस्तारित माना जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

19 अगस्त, 2026

ए. क्र.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”